



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
का मरुभूमि बीकानेर
पधारने पर हार्दिक स्वागत



राष्ट्राय स्वाहा,
इदं राष्ट्राय, इदं न मम

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के साथ भारत
की शौर्य गाथा में एक नया अध्याय जुड़ा है।
भारत का मान बढ़ाने और इस सैन्य ऑपरेशन
की कामयाबी पर

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
का हार्दिक अभिनंदन



प्रदेशवासियों को 26 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों तथा
देश को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित
रेलवे स्टेशन की सौगात

मुख्य अतिथि

श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

22 मई, 2025 | प्रातः 10:30 बजे | स्थान: पलाना, बीकानेर

आप सादर आमंत्रित हैं



भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

विचार बिन्दु

जो निर्बलों पर दया नहीं करता, उसे बलवानों के अत्याचार सहने पड़ेंगे। –शेख सादी

न्याय व्यवस्था की लेखा परीक्षा करती एक जरूरी रिपोर्ट

आम आदमी के जीवन से सरोकार रखने वाली बहसें लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखती हैं। न्याय प्रणाली के बारे में ऐसी बहसें शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए समयबद्ध समाधान खोजने को भी प्रेरित करती हैं। न्यायिक संस्था में आम जन का विश्वास तभी बना रह सकता है जब न्याय में देरी न हो। ऐसा न हो कि कोई नौजवान न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए और अदालत का अंतिम फैसला आए तब तक वह बड़ा हो जाए। न्याय मिलने में अत्यधिक देरी के परिणामस्वरूप नागरिकों द्वारा कानून अपने हाथ में ले लेने को खबरें भी मिलती हैं। किसी भी अन्य संस्था की तरह न्याय प्रणाली को भी स्वतंत्र मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। हाल ही में ‘टाटा ट्रस्ट्स’ के सहयोग से ‘इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025’ जारी हुई हैं। न्याय प्रदान करने की प्रणाली का स्वतंत्र लेखा परीक्षण का कार्य कर रही सभ्य समाज की एक संस्था की यह रिपोर्ट है। इसमें न्याय व्यवस्था के सभी अंगों का समावेश है जैसे पुलिस और जेल प्रशासन व अभियोजन, क्योंकि ये सभी मिल कर न्याय प्रणाली बनाती हैं। यह रिपोर्ट एक कठोर मगर निर्विवाद सत्य को उजागर करती है कि हमारी न्याय प्रदान करने की प्रणाली अब भी अपने जनादेश को पूरा करने से बहुत दूर है। रिपोर्ट की प्रामाणिकता यह है कि अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में वह पूरी तरह सरकार के ही आंकड़ों पर आधारित साक्ष्य पर निर्भर करती है। यह परीक्षण इस सर्वज्ञात वास्तविकता से फिर रूबरू कराता है कि संविधान में नागरिकों से किया गया कानून के जरिए समान न्याय का वादा अब भी पूरा होना बाकी है, वैसे ही जैसे सब बालकों को समान शिक्षा देने का वादा। रिपोर्ट में प्रस्तुत डेटा हमारी न्याय प्रणाली के प्रबंधन में दीर्घ रखने वालों के लिए यह बुनियादी सवाल उठाने का प्रयास करता है कि हम अपनी जड़ता के चक्र को कैसे तोड़ें तथा सुधार की राह पर कैसे आगे बढ़ने के लिए अदालत बढाएं। इस साल की रिपोर्ट हमें समस्या की पहचान करने को प्रेरित करती है। इसमें जो मूल थीसिस उभर कर आती हैं, वह सिस्टम में बैठे लोगों की आलोचना नहीं है। यह रिपोर्ट मानती है कि सिस्टम में बैठे लोगों को बहुत लंबे समय से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उनकी अंतर्निहित क्षमताओं से वंचित किया जाता रहा है। सिस्टम के भीतर सेवा देने वाले व्यक्ति अक्सर खुद को उन्हीं संरचनाओं से जुड़ते हुए पाते हैं जिन्हें बनाए रखने के लिए उन्हें बनाया गया है। सच्ची संस्थागत ताकत व्यक्तिओं की क्षणभंगुर प्रतिभा या क्षणिक नवाचारों पर निर्भर नहीं हो सकती। वह तभी सुनिश्चित होती है जब आम लोगों के कौशल और प्रतिभा को उभार कर उन्हें एक मजबूत ढांचे में अपना योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाय, जो व्यक्तिगत योगदान से परे हो।

एक अच्छी तरह से काम करने वाली न्याय प्रणाली लचीलेपन, पूर्वांनुमान और निष्पक्षता को प्राथमिकता देती है। इसी से असाधारण कौशल की नियमित दक्षता सुनिश्चित होती है। यह केवल इच्छाशक्ति पर निर्भर नहीं हो सकती। व्यक्तिगत योगदान से परे निरंतर, सुसंग्रद प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किये जाने से ही ऐसा हो सकता है। सही मायने में प्रभावी न्याय प्रणाली को एक स्पष्टस्वतंत्र दृष्टि और अडिग मूल्यों का आधार तैयार करना पड़ता है। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था मौजूद है। संविधान के सिद्धांतों की न्याय प्रणाली के हर पहलू में व्याप्त होने की सबकी अपेक्षा रहती है। न्याय प्रणाली की रैक में प्रवेश करने वाले सभी लोगों के प्रशिक्षण का वह अनिवार्य हिस्सा होनी चाहिए जिससे उनका अभिविन्यास वैसे बना जिसकी परिकल्पना संविधान में मौजूद है। किसी व्यक्तिगत दृष्टि से परे, प्रणाली में अच्छी तरह से परिभाषित संरचनाएं और प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जो नियमितता, पूर्वांनुमेयता, पहुंच, जवाबदेही तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करती हो और वास्तविक भागीदारी को बढ़ावा देती हो। न्याय प्रणाली को उस विविध आबादी का प्रतिनिधित्व करना होता है जिसकी सेवा के लिए उसका गठन हुआ है। उसे उन उद्देश्यों तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसूच बनाना जरूरी है जिनके लिए यह प्रणाली बनाई गई। महत्वपूर्ण रूप से यह व्यक्तिगत आधारित प्रयास नहीं होना चाहिए बल्कि एक समान प्रणाली-आधारित प्रयास होना चाहिए। आयोग, सरकारऔर नागरिक समाज के अलावा खुद न्यायालय देश की न्याय प्रणाली पर मुकदमों के बढते बोझ का विश्लेषण करते आए हैं। वहीं न्याय पत्र के लिए अदालतों में घटक रहे वादी-प्रतिवादी प्रतिदिन इस प्रणाली की जटिलताओं से झड़ते हैं। व्यवस्था ठीक करने के नुस्खों, सिफारिशों और प्रस्तावित समाधानों की लंबी फेहरिस्त है। फिर भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि न्याय प्रणाली अलग-अलग नहीं है, वह एक व्यापक शासन ढांचे के भीतर बनी हुई है।

समग्र सुधार की व्यवस्था के लिए सभी घटकों-पुलिस, न्यायपालिका, कानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फोरेंसिक जांच संस्थाएं और मानवाधिकार आयोगों को एक साथ मजबूत किया जाना जरूरी हैं। व्यवस्था चलाने वालों की सहमति के बिना कोई भी सुधार सफल नहीं हो सकता।

किस तरह कठोर, डेटा-संचालित आकलन सुधार के लिए उल्टेरक का काम कर सकते हैं। यह रिपोर्ट समय के साथ राज्य के प्रदर्शन पर नजर रखकर, यह ऐसे बेंचमार्क का उपयोग करती है जो नीतिगत निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है और उसके लिए सार्वजनिक चर्चा को आकार दे सकती है। यह रिपोर्ट पारदर्शिता और तुलनात्मक रैंकिंग देती है जो विभिन्न राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इन अंतर्दृष्टियों को ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए नागरिक समाज, शिक्षाविद् और मीडिया इसमें एकत्रित डेटा का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालयों, आयोगों और नीति निर्माताओं को इस रिपोर्ट की जानकारी को केवल एक अकादमिक अभ्यास के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन को प्रभावित करने वाले सुधारों को आगे बढाने के उपकरण के रूप में लेना चाहिए। रिपोर्ट का स्थान एक ही चुनौती पर है कि न्याय संस्थानों के पास संसाधनों की कमी है। चाहे वह पांच करोड़ लैबित मामलों के बोझ तले दबी न्यायपालिका हो, बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर काम कर रहे पुलिस विभाग हों या पुनर्वास के बजाय रोकथाम के लिए बनाई गई जेलें हों, वास्तविकता निराशाजनक है।

पिछले कुछ वर्षों में बजट आवंटन में वृद्धि हुई है, फिर भी उनका उपयोग अर्थात्त है। संरचनात्मक अक्षमताओं पर ध्यान दिए बिना, केवल खर्च में वृद्धि से बेहतर परिणाम नहीं मिल सकते। क्षमता को ठीक करना वास्तव में सफलता के लिए एक आवश्यक कदम है – लेकिन यह अकेला काफी नहीं है। परिवर्तन की संभावना तब सबसे अधिक होती है जब प्रोत्साहन टोस होते हैं। प्रदर्शन से जुड़ी फंडिंग, अच्छी तरह से काम करने वाली संस्थाओं के लिए मान्यता, अच्छा नेटवर्क, जवाबदेही तंत्र, उपयोगकर्ता, तथा नागरिक ऑडिट के माध्यम से मिले फीडबैक सभी सुधार के प्रेरक बनते हैं। उदाहरण के लिए, जो राज्य न्यायिक रिकित्यों, पुलिस प्रशिक्षण या जेल पुनर्वास कार्यक्रमों में सुधार प्रदर्शित करते हैं, उन्हें अतिरिक्त वित्तीय सहायता से पुरस्कृत किया जा सकता है। इसी तरह, संस्थानों के भीतर व्यक्तिगत अभिविन्यास और जवाबदेही – बेहतर प्रशिक्षण और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालियों, सेवा की गुणवत्ता से जुड़ी पदोन्नति से सकारात्मक परिणामों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि अपराध की जांच और कानूनी आवश्यक न्याय दो अलग-अलग विषय हैं जिनके लिए अलग-अलग योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अपराधों की वैज्ञानिक जांच समग्र की मांग है। सुधार टुकड़ों में नहीं हो सकता। न्याय अलग-अलग नहीं बल्कि परस्पर निर्भर संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से दिया जाता है। यदि पुलिस बल में कम कर्मचारी और अप्रशिक्षित हैं तो न्यायालय कुशलता से काम नहीं कर सकते। यदि कानूनी सहायता अप्रभावी है तो जेल पुनर्वास नहीं कर सकता। दोषी कैदियों के मुक़ाबले विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या इस समस्या का प्रतिबिंब है। समग्र सुधार की व्यवस्था के लिए सभी घटकों-पुलिस, न्यायपालिका, कानूनी सहायता, बचाव और अभियोजन पक्ष के वकील, जेल, फोरेंसिक जांच संस्थाएं और मानवाधिकार आयोगों को एक साथ मजबूत किया जाना जरूरी है। व्यवस्था चलाने वालों की सहमति के बिना कोई भी सुधार सफल नहीं हो सकता। न्यायपालिका, सरकार और सिविल सेवाओं का नेतृत्व करने वालों को बदलाव लाने, जोखिम उठाने और यथास्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता के दहशत की भूमिका भी उसनी ही महत्वपूर्ण है। न्याय सुधार इतना महत्वपूर्ण है कि इसे केवल संस्थाओं पर नहीं छोड़ा जा सकता, इसे एक सामाजिक मांग बनना चाहिए। उसका मतलब यह है कि इस बात को व्यापक मान्यता मिलनी चाहिए कि न्याय प्रदान करना केवल नैतिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक शांति, तीव्र विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रगति का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत न्याय रिपोर्ट इस आवश्यक संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण उल्टेरक के रूप में काम कर सकती है। यह रिपोर्ट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। यह कार्रवाई का आन्धान है। इसके निष्कर्ष हमारी न्याय प्रणाली की वास्तविकता को दर्शाते हुए एक दर्पण और रोडमैप दोनों देती हैं। साथ ही वे आगे का रास्ता भी सुझाते हैं। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या हम इस ज्ञान का उपयोग बदलाव लाने के लिए करेंगे या निष्क्रियता के एक और चक्र को पनपने देंगे। हमारे सामने जो स्पष्ट है वह है कार्य करने की इच्छाशीलता।

—अतिथि संपादक, राजेन्द्र बोड़ा (वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)

 राशिकल
बुधवार 21 मई, 2025
ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत २०८२, शतभिषा नक्षत्र सायं ६:५८ तक, वैधृति योग रात्रि १२:३४ तक, तैत्तिल सायं ४:०४ तक, चन्द्रमा आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-कर्क, बुध-मेष, गुरु-मिथुन, शुक्र-मौन, शनि-मौन, राहु-मौन, केतु-सिंह राशि में।
आज कुमार योग रात्रि ३:२२ से सूर्योदय तक है। आज वैधृति पुण्य, पंचक है। आज राजीव गांधी पुण्य दिवस है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ अमृत सूर्योदय से ९:०२ तक, शुभ १०:४२ से १२:२३ तक, चर ३:४५ से ५:२५ तक, लाभ ५:२५ से ७:२५ तक।
राहूकाल: १२:०० से १:३० तक। सूर्योदय ५:४०, सूर्यास्त ७:०६

संपादकीय

डिजिटल इंडिया के आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक दूरसंचार क्रांति के जनक एवं पंचायती राज के सशक्तिकरण के प्रणेता राजीव गांधी



डॉ. जे.के. गर्ग

प्रधानमंत्री रहते हुए स्व गांधी ने कई महत्वपूर्ण काम किए, जिन्होंने देश के विकास को नई दिशा प्रदान की। राजीव गांधी को डिजिटल इंडिया का आर्किटेक्ट और सूचना तकनीक और दूरसंचार क्रांति का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी ने अगस्त १९८४ में भारतीय दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सेंटर पार डिबैलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल से शहर से लेकर गांवों तक दूरसंचार का जाल बिछना शुरू हुआ, जगह-जगह पीसीओ खुलने लगे। जिससे गांव की जनता भी संचार के मामले में देश-दुनिया से जुड़ सकी। फिर १९८६ में राजीव को पहल से ही एमटीएनएल की स्थापना हुई, जिससे दूरसंचार क्षेत्र में और प्रगति हुई।

स्व. गांधी मानते थे कि युवा पीढ़ी ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, इसके लिए उनको कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और विज्ञान की शिक्षा देना जरूरी है। कंप्यूटर की कीमते घटाने के लिए राजीव ने इसे सरकारी नियंत्रण से बाहर निकल दिया और असेंबल कंप्यूटर का आयात शुरू किया। बड़ी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही हुई। राजीव ने ही पंचायती राज अधिनियम के माध्यम से केन्द्रीकृत सत्ता का विकेंद्रीकरण करके पंचायतों को कई महत्वपूर्ण और वित्तीय अधिकार दिये थे। अयोध्या में विवादित स्थल का ताला खुलवाया। उन्होंने सनातनधर्मीयों की नाराजगी को दूर करने के लिए अयोध्या के विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया और १९८९ में राम मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत भी दे दी।

युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया था। राजीव ने १९८६ की शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाखों बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय स्कूल प्रारम्भ किये हैं और आज तो स्थिति ऐसी है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे

भी नवोदय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। इंदिरा गांधी एवं फ़िरोज गांधी के ज्येष्ठ पुत्र राजीव का जन्म २० अगस्त १९४४ को मुंबई में हुआ था। राजीव गांधी बचपन में बहुत ही संकोची स्वभाव के थे। जब वे दून स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार उनसे मिलने स्कूल पहुंचे तो राजीव बाथरूम की बास्केट में छिप गए थे। राजनीति में आने से पहले राजीव गांधी एयरलाईस में पायलट की नौकरी करते थे। राजीव का पूरा नाम राजीव रत्न गांधी था उनका यह नाम उनके नाना नेहरूजी ने रखा क्योंकि नेहरू जी की पत्नी का नाम कमला था और राजीव का मतलब कमल होता है कमला की याद को ताजा बनाए रखने के लिए नेहरू जी ने राजीव नाम रखा था। राजीव गांधी संगीत प्रेमी थे, उनको पञ्जाबी संगीत के साथ हिन्दुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। लन्दन में राजीव गांधी की मुलाकात एड्विंजो मॉनिओ से हुई थी। १९६८ में राजीव गांधी ने उनसे शादी कर ली और उनका ये नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। राजीव और सोनिया के पुत्र और पुत्री राहुल और प्रियंका है।

राजीव गांधी का स्वभाव सुहृदय सहनशील और सरल था वे जन्म से ही दयालु और करुणा मय व्यक्ति थे स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे ईंसान थे, जिन्होंने ज़मीन पर ही नहीं, किन्तु जनमानस के हृदय पर भी राज किया। स्व. राजीव गांधी ही वो ईंसान थे जिन्होंने ख़ीसवीं सदी में इक्कीसवीं सदी के भारत का सपना देखा था। स्वभाव से धीर-गंभीर किन्तु आधुनिक सोच एवं तार्किक क्षमता के धनी राजीव ने बीसवीं सदी में ही हिन्दुस्तान को २१ वीं सदी का उन्नत राष्ट्र बनाने का सपना संजोया था।

दूरदर्शी युवा राजीव का सपना था कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और मानवता की सेवा करने वाला दुनिया का अग्रणी राष्ट्र बने। राजीव कहते थे कि हमारे देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। राजीव ने जल्दबाजी नहीं करते थे और निर्णय लेने से पहले पार्टी के नेताओं से गहन सलाह मशविरा करते थे क्योंकि उनके दिल मे लोकतंत्र की भावना समाई हुई थी। उन्होंने जो सोचा और किया वो वो पुराने ढर्रे की राजनीति से एक दम अलग था।

राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो जनता से सीधे जुड़े थे और एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने देश की मुक्त क़राक़र विरासत, और हमारे लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना चाहे थे। लोकतांत्रिक

तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है धैर्य, सतत प्रयास और मेल-मिलाप की भावना। हर व्यक्ति को इतिहास से सब लेना चाहिए। हमें चाहिए कि देश में कहीं भी आंतरिक कलह और संघर्ष होता है, तो देश कमजोर होता है। इस कारण, बाहर से खतरा बढ़ जाता है। क्या हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है? यदि हमारा लक्ष्य, एक जातिविहीन समाज है, तो निश्चित रूप से हमारा हर कदम उस उद्देश्य की ओर होना चाहिए। किसानों के कमजोर होने से देश का स्वावलंबन खत्म हो जाता है। लेकिन, यदि वे मजबूत होते हैं तो देश की आजादी भी मजबूत होती है। वे देश की कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। रेलवे का कम्प्यूटीकरण करके उन्होंने इस देश के सामने क्रांतिकारी परिवर्तन करके रख दिया।

४० वर्ष की अल्पायु में ही मैं राजीव गांधी विशाल जनादेश के साथ भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गये थे। उस चुनाव में कांग्रेस को ५०८ में से रिकॉर्ड ४०१ सीटें प्राप्त हुई थी। स्मरणीय रहे कि राजीव गांधी राजनीति में आने अनिच्छुक थे किन्तु उनके छोटे भाई संजय की अकाल मृत्यु की वजह से परिस्थितया़ ऐसी बनी कि उन्हें राजनीति में जबरन प्रवेश करना पड़ा। राजीव गांधी को अपने नाम नेहरू की तरह सुरक्षाकर्मियों का घेरा बिल्कुल पसंद नहीं था।

वे अपनी जीप और कार खुद ड्राइव करना पसंद करते थे। राजीव गांधी को अपने नाना से आराम हराम है और अपने पिता से अपना काम खुद करो की प्रेरणा मिली थी। किसान को पसंद करने वाले युवा राजीव गांधी ने अपने मन में भारत को मजबूत, आत्मनिर्भर और तकनीकी विकास के मार्ग तेज रफ़्तार से दौड़ता मुल्क बनाने का सपना संजोये रक्खा। इक्कीसवीं सदी के भारत का निर्माण उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य था। राजीव गांधी सौम्य एवं निर्मल स्वभाव के दूरदर्शी राजनेता थे और किसी भी निर्णय में जल्दबाजी नहीं करते थे और निर्णय लेने से पहले पार्टी के नेताओं से गहन सलाह मशविरा करते थे क्योंकि उनके दिल मे लोकतंत्र की भावना समाई हुई थी। उन्होंने जो सोचा और किया वो वो पुराने ढर्रे की राजनीति से एक दम अलग था।

राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो जनता से सीधे जुड़े थे और एक ऐसे नेता के रूप में जिन्होंने देश की मुक्त क़राक़र विरासत, और हमारे लोगों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाना चाहे थे। लोकतांत्रिक

जवाहर रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना और १० लाख कुआं जैसी योजनाएं चालू कीं। लोग राजीव गांधी को देखने व सुनने के लिए टीवी देखा करते थे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने उस दौर में पंजाब की यात्रा की, जब देश की खुफिया एजेंसियों ने ऐसा करने से उनको मना किया था। राजीव गांधी ने पंजाब समस्या के समाधान को प्राथमिकता देते हुए २४ जुलाई, १९८५ को अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता करके अशांत पंजाब में शांती और सौहार्द के वातावरण का निर्माण किया। राजीव गांधी वो इंसान थे, जो जब यात्रा पर जाते थे तो तय रास्ते से अलग होकर गांवों में जाते और आम आदमी के घरों में जाना और हर व्यक्ति से हाथ मिलाना जैसे उनको अपनी मां और नाना से विरासत में मिला था। नवंबर १९८२ में भारत में आयोजित सफल एशियाई खेलों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका थी। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी अपनी माता इंदिरा गांधी से अधिक व्यावहारिक और उदार थे। लालफीताशाही पर लगाम लगाकर और नीतिगत बदलाव के जरिये उन्होंने निजी क्षेत्र को औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार की अनुमति दी। कालांतर में यही दिशा १९९० के दशक में व्यापक आर्थिक उदारवाद और मुक्त व्यापार का आधार बनी जिसे नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया। वर्ष १९८६ में मिर्जोरम में लालडेंगा के नेतृत्व में दशकों से चल रहे अरागणवादी हिंसक आंदोलन को मिर्जोरम समझौते के द्वारा खत्म कर राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्स्थापना राजीव गांधी की बड़ी सफलता मानी जाती है। असम गणतन्त्र परिषद के साथ असम समझौता उन्होंने ही किया था, समझौते के बाद हुए चुनाव में विपक्ष की जीत और कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि भले ही उनकी पार्टी हार गई हो किन्तु प्रजातंत्र जीत गया है।

राजीव शालीनता की प्रतिस्तिर्ति थे उन्होंने कभी भी अपने किसी भी राजनैतिक विरोधि के प्रति अर्गल एवं कर्कश शब्दों का प्रयोग नहीं किया। राजीव को जब मालुम पड़ा कि अटलजी गंभीर रोग से ग्रस्त हैं तो उन्होंने उन्हें यू.एन.ओ. जाने वाले देलीएण्ण का सदस्य बना कर उनको अमेरिका भेजा और राजदूत को निर्देश दिय की उनका उपचार राजकीय खर्च से करवायी जाये। राजीव के राजनैतिक विरोधी श्री अटलबिहारी वाजपेयीजी ने कहा था कि अगर वे आज जिंदा हैं तो इसकी वजह

राजीव गांधी को पसंद करने के लिए एक रैली से ३० किलोमीटर दूर श्रीपेरंबुरदूर में पहुंचे। इन्हीं में एक लिट्टे सदस्य धनु भी थी। राजीव गांधी के अरसभ अमीरात की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद धनु ने गाँधी के पैर छूये और एकाएक बम फट गया जिसको धनु ने जो कि उसे अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था। राजीव गांधी समेत १७ अन्य लोग भी काल के ग्रास बन गये। इसी कारण से २१ मई, राजीव गांधी बलिदान दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राजीव भी अपनी माँ इंदिराजी के जैसे आतंकवाद के शिकार बनें। उन्हें ‘भारत रत्न’ की भी नवाजा गया था। कुछ लोग ज़मीन पर राख करते हैं और कुछ लोग हिलों पर। राजीव ने लोगों के दिलों में अपने को बसाया, स्वर्गीय राजीव गांधी एक ऐसे ईंसान थे, जिन्होंने ज़मीन पर ही नहीं, किन्तु जनमानस के हृदय पर भी राज किया। समूचा राष्ट्र राजीव गांधी को उनकी ३४ वीं पुन्य तिथी पर उन्हें श्रद्धा समन अर्पित करता है।

—डॉ. जे. के. गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर

अमेरिका अपनी आंखों से झूठ की पट्टी खोले : सच्चाई कबूल कर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे



बाल मुकुन्द ओझा

भारत एक शांतिप्रिय देश है। भारत ने कभी किसी देश पर चलाकर हमला नहीं बोला और न ही किसी की जमीन हड़पी। हाँ, यह जरूर है किसी ने भारत के साथ छेड़छाड़ का दुःशास किया तो उसे छोड़ा भी नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिन्दूर की। यदि पुलिस बल में कम कर्मचारी पक्ष रखने के लिए देश के सांसद शीघ्र दुनिया का दौरा कर वास्तविकता से अवगत करएँगे।

यहाँ सांसद यह पैदा होता है क्या दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं कि उनकी आंखें खोलने या यूँ कहें उन्हें कुम्भकर्णी नंदित्र से जगाने हम जा रहे हैं। क्या दुनिया लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र को नहीं पहचानती। खैर यह विषय बहुत लम्बा है। अमेरिका स्वयं को सुपुर् लोकतान्त्रिक देश कहलवाने में बड़ा गर्व महसूस करता है। मगर आँखों पर पट्टी बांधकर अपना निर्णय

दूसरे देशों पर थोपने में तनिक भी देर नहीं करता। वह इस बीच यह भी नहीं देखता कि कौन सी और कौन गलत है। यहाँ उसका स्वार्थ और व्यापार आड़े आ जाता है। अमेरिका सहित दुनियाभर के देशों की आंखें खोलने और सच्चाई से रूबरू कराने हमें जाना पड़ रहा है। पाकिस्तान की कुछ सच्चाई पर से हम भी इस लेख के माध्यम से पर्दा उठाने जा रहे हैं।

बता रहे हैं लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र की वास्तविकता। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाफाँस का दावा कराने वाला अमेरिका स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश कहता है, मगर आश्चर्य है उसे

लोकतंत्र और छद्म लोकतंत्र में कोई फर्क नजर नहीं आता। पाकिस्तान की अदरूनी स्थिति से समूची दुनिया वाकिफ है मगर सच का साथ देने की तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को हमारे पाकिस्तानी मोदी का दोस्त कहता है। मगर संकट में अपने दोस्त की सहायता के लिए आगे आकर अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ नहीं निभाता। अमेरिका को चाहिए तो यह था की वह सच्चाई का साथ दे और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर तुरां व्यापार और आर्थिक सहायता देना बंद करें।

आये, आज मोदी है हम अपने पाठकों को एक बार फिर पाक की सच्चाई से रूबरू करएं। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र का रास्ता चुना था। मगर शीघ्र ही लोकतंत्र की यह नकाब उतर गई। पाक में लोकतंत्र के पीछे सेना खड़ी

हो गई और देखते देखते पाक पर छद्म रूप से सेना कबिज हो गई। कहा जाता है पाक पर वही पार्टी शासन करेगी जिसे सेना का समर्थन मिलेगा। अन्यथा सेना खुद शासन की कमान सँभालते देर नहीं करेगी। यह कोई कल्पित कहानी नहीं है अपितु पाक की असलियत है। कहते हैं पाक के शासक साथ ही उन्हें पाकिस्तान में राजनीति पर फ़क काँटों के ताज से कम नहीं है। उसे कब सत्ताच्युत होकर जेल जाना पड़ेगा यह किसी को मालुम नहीं है। इससे पहले सुहरावर्दी से लेकर इमरान तक ५ निर्वाचित नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। एक को फांसी दी गई थी। पाकिस्तान अपने पूर्व शासकों को जेल भेजने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।

पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सेना की मदद से पाक पर काबिज हुए थे। जितने दिन उन्हें सेना की छत्रछाया मिली वे निर्बाद रूप से राज कररहेहै फिर जैसे ही उन्होंने अपनी स्वतंत्र आवाज बुलंद करनी चाही तो उनसे जल्द ही शासन से बेदखल होना पड़ा। बेदखल होने के बाद इमरान पर कई मुकदमे कायम किये गए और अनौगल्थ अपराध पूर्ववर्ती शासकों की तरह जेल के सीकड़ों में बंद होना पड़ा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कर्क

चन्द्रमा अघम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक मामलों में संयम रखना ठीक रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर

आर्थिक कार्णों से अटक हुए कार्य बन्ने लंगेंगे। अटक आघ घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां



मिथुन

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बन्ने लंगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



मकर

आर्थिक कार्णों से अटक हुए कार्य बन्ने लंगेंगे। अटक आघ घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां



सिंह

व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को अवतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।



कुंभ

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। अटक आघ घन प्राप्त होगा। वर्तमान में चल रहा मानसिक तनाव दूर होगा।



कन्या

आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटक आघ घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।



मौन

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोन:- 2200660 फैंक्स : 0151-2527371 वर्ष: 46 संख्या: 298 प्रभात बीकानेर, बुधवार 21 मई, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

नीतीश कुमार के दो पुराने व विश्वसनीय चेलों, प्रशांत किशोर व आर.सी.पी. सिंह ने हाथ मिलाया

दोनों चेलों ने नीतीश कुमार के ई.बी.सी. वोट बैंक (मुख्य रूप से कुर्मी वोट बैंक) में सेंध लगाने का लक्ष्य लेकर ही हाथ मिलाया है

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 20 मई। राजनीति में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। प्रशान्त किशोर तथा राम चन्द्र प्रसाद सिंह (आर सी पी सिंह), जो पहले कटु प्रतिद्वन्दी थे, ने अपने मतभेद समाप्त कर दिये हैं तथा जे डी यू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के “इकॉनॉमिकली बैकवर्ड क्लास (ई बी सी) वोट बैंक (खासतौर से कुर्मी वोट बैंक) को तोड़ने के विचार ने उन्हें एक कर दिया है।

लगभग पांच माह बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस पृष्ठभूमि में, उनका एक होना यह प्रदर्शित करता है कि वे राज्य की राजनीति में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए तथा आर जे डी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के विरुद्ध तीसरे विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। इस घटनाक्रम, अर्थात इस नज़दीकी को नीतीश कुमार के लिए चेतावनी की घंटी के रूप में लिया जाना चाहिए, क्योंकि आर सी पी और किशोर उनके निकटतम सहयोगी एवं सहायक रहे हैं

■ दोनों चेले, इस नये गठबंधन के सहारे बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाले एन.डी.ए. व आर.जे.डी. के नेतृत्व वाले महागठबन्धन के बाद तीसरा स्तम्भ बनना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में।

■ यह घटनाक्रम नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दोनों चेले, किसी जमाने में नीतीश कुमार के सबसे मजबूत साथी थे, जिन्होंने चार बार नीतीश का ई.बी.सी. वोट बैंक गढ़ा था, और नीतीश की “सुशासन” की छवि बनाने में कामयाबी हासिल की थी।

■ प्रशांत किशोर उस जमाने में जे.डी.यू. के उपाध्यक्ष थे, तथा उनके जे.डी.यू. छोड़ने का एक बड़ा कारण आर.सी.पी. सिंह थे।

■ आर.सी.पी. सिंह व प्रशांत किशोर के बीच इतनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, कि आर.सी.पी. सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखी टिप्पणी की थी कि, प्रशांत एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया।

तथा उन्होंने जे डी यू के लिए ई बी सी वोट बैंक बनाने में बहुत मदद की है। यही नहीं, इन दोनों ने नीतीश कुमार की “सुशासन” व्यक्ति की छवि भी बनाई है।

आर सी पी मुख्यमंत्री कुमार की तरह “कुर्मी” ही हैं तथा दोनों ही चालन्दा से है। एक समय, आर सी पी, जे डी यू में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता माने जाते थे

और, कुछ समय तक पार्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उनके नीतीश से मतभेद हो गए। इसी प्रकार, प्रशान्त किशोर एक समय जे डी यू के उपाध्यक्ष थे तथा उनके जे डी यू को छोड़ने का एक कारण आर सी पी के साथ उनकी प्रचंड प्रतिद्वन्द्विता भी बताई जाती है। उस समय आर सी पी ने किशोर का अपमान करते हुए, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बताया था, “जिसका बिहार के लिए कोई योगदान नहीं है।”

पर रविवार के दिन, उनकी सारी पुरानी शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता पीछे छूट गई तथा सिंह ने घोषणा की कि वे किशोर की “जन सुराज पार्टी (जे एस पी) में अपनी अल्पज्ञात पार्टी “आप सबकी आवाज” का विलय कर रहे हैं।

पर्यवेक्षकों का कहना है, “आर सी पी के जे एस पी में आने से कुर्मी मतदाताओं में जे एस पी की संभावनाएं तो काफी बढ़ ही जायेंगी, इसके साथ ही, ऐसे समय पर, जब किशोर सारे समुदायों को मिलाकर एक सामाजिक संयोजन की स्थिति लाने की कोशिश कर रहे हैं, आर सी पी की संगठनात्मक क्षमताओं से उन्हें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाईकोर्ट ने परकोटे के 19 भवनों की पालना रिपोर्ट मांगी

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के चलते अवैध तौर पर चिन्हित किए 19 भवनों के मामले में राज्य सरकार को 25 फरवरी के आदेश की पालना के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश मामले में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान में भवन मालिकों की ओर से दिए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के एएजी जीएस गिल ने कहा कि 19 भवन

■ जयपुर की चारदीवारी के आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए चिन्हित 19 भवनों के मामले में 25 फरवरी को आदेश दिया था।

मालिकों में से अभी 10 का ही पक्ष सुन पाए हैं और 9 भवन मालिकों का पक्ष जानना बाकी है। इसलिए अदालत राज्य सरकार को तीन महीने का समय दे। इसका विरोध करते हुए न्याय मित्र शोभित निवाड़ी ने कहा कि पालना रिपोर्ट के लिए तीन महीने का समय ज्यादा है। इस दौरान मामले से जुड़े सीनियर एडवोकेट विमल चौधरी ने कहा कि प्रभावितों ने अदालत से तथ्य छिपाए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘ऑपरेशन सिन्दूर की जानकारीयां विदेशी सरकार से साझा की जा रही हैं पर संसद में नहीं’

सी.पी.आई. के नेता डी. राजा ने कहा कि, भारत सरकार की ऑपरेशन सिन्दूर के बारे में सांसदों की यह अवहेलना हमें स्वीकार नहीं है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 मई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के महासचिव डी. राजा ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में विदेशी सरकारों को जानकारी दी जा रही है, जबकि भारतीय जनता “अंधेरे में रखी गई है”, यह कदापि स्वीकार्य नहीं है।

सीपीआई महासचिव ने कहा कि, हालांकि विपक्ष “ऑपरेशन सिंदूर” पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, पर, सरकार को जनता द्वारा चुनी गई संसद की कोई परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूपनएससी) के सदस्य देशों सहित प्रमुख देशों में बहुदलीय प्रतिनिधिमंडली भेजने का जो निर्णय लिया है, उसमें पारदर्शिता का अभाव है तथा अधिकांश को इससे बाहर रखा गया “अपारदर्शिता” और “बहिष्करण” से भरा है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर न तो कोई सलाह ली गई और न ही उन्हें जानकारी दी गई, और इन

■ डी. राजा ने यह भी कहा कि देश के राजनीतिक दल कई बार यह मांग कर चुके हैं कि संसद का विशेष सत्र आहूत कर सरकार ऑपरेशन सिन्दूर के बारे में जानकारी दे। सांसद सेना के इस “युद्ध” के बारे में अनुभवों को जानना चाहते हैं। भारत सरकार ये अनुभव विदेशी राष्ट्रों से शेयर करने को तो लालायित है, पर सांसदों को इस बारे में कुछ साझा क्यों नहीं करना चाहती है।

प्रतिनिधिमंडलों का क्या उद्देश्य है, इस पर भी “कोई स्पष्टता नहीं” है। उन्होंने एक्स पर लिखा, “यह अस्वीकार्य है कि विदेशी सरकारों को जानकारी दी जाए जबकि भारत की अपनी संसद और जनता को अंधेरे में रखा जाए। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल “ऑपरेशन सिंदूर” पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, यह ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट को लेकर अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की हालिया गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते हुए, सीपीआई नेता ने इस

असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास बताया।

राजा ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धिवराम की शर्तों को लेकर बढ़ रहे भ्रम और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की भूमिका पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, “जिन्होंने गैरजिम्मेदाराना ढंग से परमाणु संघर्ष का संकेत दिया था।” उन्होंने कहा, “चौकाने वाली बात यह है कि सरकार ने अभी तक उनके दावों का स्पष्ट रूप से खंडन या निंदा नहीं की है। यह संसद की एक समिति के सामने विदेश सचिव द्वारा दिए गए कथित बयान से एकदम उलट है, जिसमें कहा गया था कि दोनों पक्षों ने पारंपरिक युद्ध का इस्तेमाल किया था।”

अब नये फ्रेश वकील सीधे ही जुडीशिअरी सर्विस के इम्तिहान में नहीं बैठ पायेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित कर यह व्यवस्था बिठाई है, कि, अनिवार्य रूप से एक फ्रेश ग्रेजुएट को कम से कम तीन साल लॉ की प्रेक्टिस करने का अनुभव होना जरूरी होगा, “जुडीशिअरी” एन्ट्री लैवल की परीक्षा में बैठने से पहले

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 मई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि न्यायिक सेवा में आवेदन करने वाले अर्हताओं को कम से कम तीन साल की वकालत का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस निर्णय के बाद अब ताजा लॉ ग्रेजुएट सीधे न्यायिक सेवा की परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यह फैसला न्यायिक सेवा में करियर की तैयारी कर रहे छात्रों पर व्यापक प्रभाव डालेगा। मुख्य न्यायाधीश

अटारी बॉर्डर पर12 दिन बाद रिट्रीट सैरमनी

अमृतसर, 20 मई। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। ऑपरेशन सिंदूर से बोखलाए पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जैसे हालात पैदा किए। दोनों देशों के बीच तनाव के चलते अमृतसर के अटारी-बाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सैरमनी बंद कर दी गई थी। अब हालात सामान्य होने पर मंगलवार को अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सैरमनी एक बार फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि पहले दिन रिट्रीट देखने जाने वाले लोगों की

■ हालांकि दोनों ओर के गेट नहीं खोले गये, पर भारत की तरफ बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे, जिन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए।

संख्या एक हजार से 1500 के बीच रही। अटारी बॉर्डर पर पहुंचे सैलानियों की ओर से बंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए वहीं सैरमनी के दौरान बीएसएफ की ओर से गेट पूरी तरह से बंद रखे गए। रिट्रीट सैरमनी के दौरान सैलानियों ने बीएसएफ जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सात मई से रिट्रीट सैरमनी बंद कर दी गई थी। रिट्रीट सैरमनी शुरू हो जाने पर जहां (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भावी न्यायाधीशों के लिए व्यावहारिक अनुभव अत्यंत आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि लॉग्रेजुएट्स की सीधी नियुक्तियों से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनकी ओर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में व्यावसायिक अभ्यास से मिलने वाला अनुभव न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और गुणवत्ता के लिए अत्यंत जरूरी है। इस फैसले के अनुसार, सिविल जज के फैसला मुख्य न्यायाधीश में शामिल होने के लिए अब न्यूनतम तीन वर्ष की वकालत आवश्यक होगी। यह निर्णय अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में सुनाया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा

कि नए कानून स्नातकों की सीधी भर्ती से व्यावहारिक समस्याएं पैदा हुई हैं, जो कि विभिन्न उच्च न्यायालयों की रिपोर्टों में सामने आई हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह तीन साल की अवधि प्रोविजनल एनरोलमेंट (अस्थायी पंजीकरण) की तारीख से गिनी जाएगी।

तथापि, यह नई शर्त उन भर्तियों पर लागू नहीं होगी, जो इस निर्णय की तारीख से पहले उच्च न्यायालयों द्वारा शुरू की जा चुकी हैं। यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने सुनाया। इस निर्णय से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पेटिटिव एग्जामिनेशन) के अंतर्गत पदोन्नति को लेकर भी निर्देश शामिल हैं।

■ हाईकोर्ट ने जेडीए से 23 मई तक बताने को कहा।

अवमानना याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी से पूछा कि मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर जेडीए की ओर से कहा गया कि मौके से 90 फीसदी अतिक्रमणों को हटा दिया है। वहीं, 9 अप्रैल को कार्रवाई के दौरान जेडीए को, अत्यधिक विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कार्रवाई को आगे टालने का निर्णय लिया था। इस मामले में जेडीए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस ने “ऑपरेशन सिन्दूर” पर भाजपा सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 20 मई - ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से निपटने को लेकर मोदी सरकार आज तीव्र आलोचना के घेरे में आ गई, जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केन्द्र पर नया हमला बोलते हुए, उसे भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच लापरवाह रवैया और “भारी कूटनीतिक भूल” का दोषी ठहराया।

कांग्रेस के संचार और प्रचार विभाग के अध्यक्ष खेड़ा ने एक्स पर एक विस्तृत बयान पोस्ट कर कई तीखे सवाल उठाए और इस मुद्दे पर सभी दलों की बैठक तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। खेड़ा ने लिखा, “ऐसे समय में, जब पूरा देश शोक में डूबा है और हमारी सीमाओं पर गंभीर सुरक्षा तनाव है, सत्ताधारी भाजपा ने चौकाने वाली अपरिपक्वता और लापरवाही दिखाई।”

खेड़ा ने आगे कहा, “हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमेशा अपनी सेना के साथ सज्जुती से खड़े रहे हैं, लेकिन जब सरकार उन नागरिकों की ही सुरक्षा में प्रसफल रहती है, जिनकी रक्षा की उसने शायद ली है, तब हम चुप नहीं रह सकते।”

■ कांग्रेस के अनुसार प्र.मंत्री ने गत ग्यारह साल में 151 विदेश यात्राएं कीं, 72 देश गये, जिनमें अमेरिका की दस यात्राएं भी शामिल हैं, पर आतंकवादी हमले के सन्दर्भ में भारत के पक्ष में खड़ा होने के लिए कोई देश तैयार नहीं हुआ।

■ आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर की सहायता का पैकेज देना स्वीकार किया, लेकिन, यह जानते हुए कि इस रकम का उपयोग पाकिस्तान आतंकवादियों को तैयार करने पर खर्च करेगा, भारत यह पैकेज नहीं रुकवा सका।

■ बार-बार ट्रम्प दावा कर रहे हैं, कि उन्होंने मध्यस्थता कर भारत-पाक के बीच सीज़ फायर करवाई, परात अनर्गल बयानबाजी का भी प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे पाया।

■ इसी प्रकार, विदेश मंत्री की यह स्वीकारोक्ति, कि उन्होंने पाकिस्तान पर हवाई बमबारी करने से पहले पाकिस्तान को पूर्व सूचना दी, एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत थी।

खेड़ा द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों में शामिल थे: ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान को जानकारी क्यों दी गई, जबकि भारत के संवेदनशील क्षेत्रों जैसे

पूँछ में नागरिकों को कोई सूचना नहीं दी गई? क्या इस चेतावनी ने मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भागने में मदद की? कितने आतंकी भागे

और इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना नुकसान हुआ?

कांग्रेस, सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक युद्धिवराम की घोषणा के बाद से ही लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने भी खेड़ा के सवालों को दोहराते हुए एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री रोहन मोदी की लगातार विदेश यात्राओं के बावजूद, भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग-थलग पड़ा है।

उन्होंने कहा, “फिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने 151 विदेशी दौर किए और वे 72 देशों में गए, जिनमें अमेरिका की 10 यात्राएं शामिल है। फिर भी जब भारत को पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद में भूमिका उजागर करने के लिए वैश्विक समर्थन की आवश्यकता थी, तब कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ।”

उन्होंने पाकिस्तान को दिए गए 1.4 अरब डॉलर के राहत पैकेज को भारतीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधीक्षण अभियंता का ऑफिस सील हो और वह बाहर बैठकर काम करें

जयपुर, 20 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएचईडी की जनता जल योजना में कार्यरत रहे पंप चालकों को अदालती आदेश के बावजूद भी न्यूनतम वेतन नहीं देने पर कड़ा रुख अपनाया है।

■ हाईकोर्ट ने सीकर डीजे को पी.एच. ई. डी. अधीक्षण अभियंता के बारे में निर्देश दिये।

■ पंप चालकों के न्यूनतम वेतन के संबंध में अदालत ने 2020 में आदेश दिये थे, जिनकी आज तक पालना नहीं हुई।

अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि अधीक्षक अभियंता, सीकर सर्किल ने अदालती आदेश की जानबूझकर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटपूतली में मकानों और दुकानों की नगर पालिका द्वारा बेतरतीब तोड़फोड़ करने पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने करीब 150 याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूर्ण की

जयपुर, (का.सं.)। कोटपूतली में करीब 150 मकानों-दुकानों व अन्य स्थाई निर्माणों पर नगर पालिका द्वारा उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए तोड़फोड़ करने के मामले में सुनवाई हुई और सभी तथ्यों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया है। जैसा कि विदित है पिछली गहलोत सरकार के दौरान कोटपूतली में तत्कालीन नगर परिषद में हाईवे से जुड़े रास्ता जो अम्बेडकर स्कूल तक जाता था, इस सड़क मार्ग पर पर बने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के लिये नोटिस जारी किये थे। परंतु आमजन में प्रशासन में यह भय का माहौल तैयार किया था कि वह सड़क

- याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नगर पालिका ने सभी दुकानदार और मकान मालिकों से आपत्तियां नहीं सुनीं और ना ही इमारतों को तोड़ने से पूर्व कोई मुआवजा देने की बात की। कई याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नगर पालिका के अधिकारियों ने बैंक डेटिट नोटिस देकर मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्थाई अतिक्रमण हटाने के लिये नगर परिषद ने कभी नोटिस जारी नहीं किये थे

नगर परिषद ने पट्टे जारी किये थे और तीसरे वे जिनके पास पट्टे नहीं थे।

उल्लेखनीय है कि कई याचिकाकर्ताओं का कहना था कि

हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नगर पालिका ने सभी दुकानदार और मकान मालिकों से आपत्तियां नहीं सुनीं और ना ही इमारतों को तोड़ने से पूर्व कोई मुआवजा देने की बात की। कई याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नगर पालिका के अधिकारियों ने बैंक डेटिट नोटिस देकर मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी।

नगर पालिका की ओर से तर्क दिये कि उसने केवल अतिक्रमण कारियों के ही मकान तोड़े हैं और सड़क चौड़ा करने के लिये ही कार्रवाई की है। नगर पालिका की ओर से कहा गया है कि उन्होंने तोड़फोड़ करने से पूर्व सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी जारी

किये थे। इस मामले में नगर पालिका की ओर से बहस में कहा गया था कि जिन याचिकाकर्ताओं को पट्टे जारी किये हैं, वे अवैध रूप से जारी किये हैं और जिन लोगों के पास पट्टे नहीं हैं वे अतिक्रमणकारी हैं। परंतु हैरानी की बात है कि नगर परिषद ने स्थाई अतिक्रमण हटाने के लिये कभी नोटिस जारी नहीं किये थे। और मास्टर प्लान में बदलाव कर सड़क को चौड़ी करने के लिये और फिर अधिकारिक गजट में प्रकाशित करने के लिये कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की थी।

न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने इस मामले पर पूरी सुनवाई को सुना है और अपना अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा है।



राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से मंगलवार को राजभवन में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नववर्ष की डायरी भेंट की। राज्यपाल ने वर्ष प्रतिपदा पर प्रकाशित नव वर्ष डायरी की सराहना की। देवनानी और बागडे ने इस दौरान विभिन्न विषयों पर संवाद किया। उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

काग़ज़ी क्रिकेट एकेडमी का शुभारंभ



शिकारपुरा रोड, सांगानेर में मंगलवार को कागज़ी समाज द्वारा स्वमं की भूमि पर बनाया गया क्रिकेट ग्राउंड का शुभारंभ पूर्व उपमुख्यमंत्री, एआईसीसी के महासचिव व विधायक सचिन पायलट ने किया। इसके बाद उन्होंने मैदान में क्रिकेट खेलने का आनंद लिया।

जयपुर। शिकारपुरा रोड, सांगानेर में आज कागज़ी समाज द्वारा स्वेम की भूमि पर बनाया गया क्रिकेट ग्राउंड जिसका शुभारंभ पूर्व उपमुख्यमंत्री एआईसीसी के महासचिव व विधायक सचिन पायलट, किशनपोल विधायक अमीन कागज़ी, आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान , इंडिया टीम के खिलाड़ी अनिकेत चौधरी द्वारा

पठान ने कहा एकेडमी के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय क्रिकेट प्रशिक्षण मिलेगा। इस कार्यक्रम में लाडनू विधायक मुकेश भाकर, पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, अजमेर क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष इलयास कुरैशी, अल्पसंख्यक वित्त आयोग के पूर्व सदस्य असाद कुरैशी सहित कई लोगो ने शिरकत की।

मालवीय नगर मडल में निकली तिरंगा यात्रा

जयपुर। मालवीय नगर विधानसभा के मालवीय नगर मंडल में तिरंगा यात्रा को विधायक कालीचरण सराफ ने रवाना किया। मंडल अध्यक्ष हरीश खड्डिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा सेक्टर 10 काली माता मंदिर से रवाना होकर पालिका बाजार होते हुए शहीद अमित भारद्वाज पार्क पर जाकर संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा के नेतृत्व में निकली।

सात प्रतिष्ठानों से लिए गए सैंपल अनसेफ मिले

जयपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि सिंह शेखावत ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान के निर्देशानुसार लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों में से अनसेफ पाये गये प्रकरणों में निम्न फर्मों रस्तोगी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का एमडीएच गरम मसाला, श्याम धणी इंडस्ट्रीज जयपुर का श्याम धणी गरम मसाला, लक्ष्मी स्वीट्स

केटर्स सुभाष चौक जयपुर की नमकीन,पेट पूजा होटल महादेव बनीपार्क जयपुर की ग्रेवी, अमरलाल सिंदूर केटर्स जयपुर के लड्डू,लक्ष्मी जोषपुर मिष्ठान भंडार, स्वेज फार्म जयपुर के लड्डू, मोहम्मदी पैलेस चांदपोल जयपुर की ग्रेवी, चिकन चंगेजी एवं काली मिर्च के विरुद्ध प्रकरण मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम द्वितीय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग

जयपुर। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के संयुक्त शिष्ट मंडल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा एवं कार्मिक सचिव के के पाठक को जापन सौंप कर छोटे विभाग के कर्मचारियों को भी आर्थिक न्याय दिलाने की मांग की। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरुका ने संयुक्त विज्ञाप जारी कर बताया कि छोटे विभाग में पदोन्नति के कम अवसरों के कारण चार बार कैडर रिव्यू करने के पश्चात भी ऐसे मंत्रालयिक कर्मचारी जिनका पहला प्रमोशन 2022 साल में हुआ है वह आज 4200 के वेतन में ही सेवानिवृत्त होने को मजबूर है जबकि उनके ही साथके बड़े विभाग में पद स्थापित साथी ग्रेड पे 6600 तक वेतन ले रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिन अखिल अरोड़ा एवं कार्मिक शासन सचिव के के पाठक द्वारा आश्वस्त किया गया से जल्दी ही सबकी प्रथम नियुक्ति की दिनांक और वर्तमान में धारित पद एवं वेतन की सूचनाये एकत्रित कर सभी के साथ न्याय किया जाएगा।

शिष्टमंडल में गजेंद्र सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह नरुका, ओम प्रकाश चौधरी, पप्पू शर्मा आशीष सिंह शेखावत रामावतार मोणा आदि कर्मचारी नेता शामिल थे।

प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर निकलेगी तिरंगा यात्रा : अंकित चेची



भाजपा प्रदेश मंत्री एवं तिरंगा यात्रा के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सैनी और अंकित चेची ने मंगलवार को प्रदेश कार्यलय में तिरंगा यात्रा और सिंदूर यात्रा को लेकर प्रेसवार्ता की।

संभाग और 44 जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली जा चुकी है। प्रदेश की 72 विधानसभाओं में और भाजपा के 338 मंडल स्तर पर भी बड़े स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब तक प्रदेशभर में 454 कार्यक्रम आयोजित किए गए, इनमें 4 लाख 45 हजार नागरिकों की सहभागिता रही। सैनी ने बताया कि 31 मई तक प्रदेश के 8297 शक्ति केंद्र और 52187 बुध स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही

प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकलेगी। तिरंगा यात्रा प्रदेश संयोजक अंकित चेची ने बताया कि तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ना ही इसमें भाजपा का झंडा, भाजपा के नारे लगाए जा रहे हैं, बल्कि तिरंगा यात्रा भारतीय सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए आमजन का कार्यक्रम है। इसमें हर वर्ग, हर समुदाय और हर क्षेत्र के लोग बढ़चढ़ कर अपनी भागीदारी निभा

रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी सीमा पर जाकर भारतीय जवानों को बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। भारतीय सेना के समर्थन में निकाली जा रही तिरंगा और सिंदूर यात्रा में प्रत्येक नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आगामी तिरंगा यात्रा में हम सभी को बढ़ चढ़कर सहभागिता निभानी है। प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ और प्रेमसिंह बनवासा भी उपस्थित रहे।

फर्जी आई बना कर क्रिप्टोकರೆंसी यूएसडीटी लूट और धोखाधड़ी करने वाला मास्टर माइंड गिरफ्तार

जयपुर। सिंधी कैप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी आई बना कर सोशल मीडिया के मार्फत क्रिंटो करेंसी यूएसडीटी लूट और धोखाधड़ी करने वाले मास्टर माइंड को घर-दबोचा है। पुलिस जानकारी में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आईआईटी का छात्र है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि सिंधी कैप थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फर्जी आई बना कर सोशल मीडिया के मार्फत क्रिंटो करेंसी यूएसडीटी लूट और धोखाधड़ी करने वाले मास्टर माइंड

और वांछित आरोपी 21 वर्षीय दीव्यांशु सिंह श्याम उर्फ गुल्ला निवासी सुभाष चौक जयपुर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी (पुलिस उप निरीक्षक) श्याम सुन्दर शर्मा ने बताया कि 21 नवम्बर 2024 को पीडित समीर खान निवासी चुरू ने सिंधी कैप थाने में मामला दर्ज करवाया था कि 14 नवम्बर 2024 को श्याम नामक व्यक्ति ने शेयर मार्केट में नौकरी दिलाने का मैसेज कर जयपुर बुलाया। जहां पीडित अपने दो दोस्तों के साथ जयपुर आने पर सिंधी कैप से उन्हें गाडी में बैठा कर दौलतपुरा टोल की तरफ सुनसान जगह ले गए।

जयपुर की रुचि गुर्जर का ‘रेड कारपेट लुक’ बना चर्चा का विषय



जयपुर। जयपुर की रुचि गुर्जर कांस के रेड कारपेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है। अपने राजस्थानी पहनावे और अनोखे जेवरों से रुचि ने कांस में सभी के आकर्षण अपनी ओर खींचा।

जयपुर की रहने वाली रुचि ने मुंबई में अपनी एक्टिंग का सिकका जमाया और अब अपनी फ़िल्म ‘लाइफ़’ के लिए कांस फ़िल्म फेस्टिवल को 2025 जा पहुंची है। इस दौरान रुचि ने रेड कारपेट पर रेड और गोल्ड थीम पर राजस्थानी पोशाक और संस्कृति को शोकेस किया। वहीं राजस्थानी बोलटुंडे को माथे पर सजाए रुचि ने गले के हार में प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी की तस्वीरों को सजाया। डिजाइनर रूपा शर्मा ने रुचि की रेड कारपेट पोशाक गोल्डन रेड लहंगे को शीशे, गोटा पट्टी और कढ़ाई से सजाया। जिसमे जयपुर की शाही कला को आधुनिक स्टाइल से परोसा। जहां लहंगे के साथ ज़रिबारी के डिजाइनर राम द्वारा बनाया गया बंधनी दुपट्टा पहना, जो ज़रदोजी और गोटा पट्टी से सुसज्जित था। इस लुक का असली आकर्षण का केंद्र रुचि के प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित हार था। बारीकी से बनाई गई इस जड़ाऊ ज्वेलरी ने न सिर्फ फैशन स्टेटमेंट दिया, बल्कि देशभक्ति की भावना को भी उजागर किया।

